कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2605 दिनांक 27-10-2021

सेवा में,

श्री निपेन्द्र नाथ,
परियोजना पदाधिकारी,
मगध ओ0सी0पी0,
डाक बंगला बिल्डिंग, टण्डवा
जिला– चतरा।

विषयः– मगध खुली खदान परियोजना फेज–2 के लिए 192.36 हे0 (वनभूमि– 57.29 हे0 एवं जंगल–झाड़ी 135.07 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की जांच के क्रम में पाये गये त्रुटियों के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक PO(M)PD/Forest/2020-21/272 Dt. 25.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मगध खुली खदान परियोजना फेज–2 के लिए 192.36 हे0 (वनभूमि– 57.29 हे0 एवं जंगल–झाड़ी 135.07 हे0) वनभूमि अपयोजन का ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जांच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार किया गया। जांचोपरांत प्रस्ताव में कई त्रुटियाँ एवं कमियाँ पाई जो निम्नवत् है :–

<u>ऑन लाईन त्रुटियाँ</u>

1. पार्ट–1 की कंडिका A 3 (i) में Details of person making application में अवनिश कुमार नाम अंकित है जबकि प्रस्ताव की सभी पृष्ठों पर निपेन्द्र नाथ, परियोजना पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर अंकित है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
2. पार्ट–1 की कंडिका B 1 में List of proposal submitted in past में शुन्य अंकित है, जबकि विषयगत परियोजना के फेज–1 पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ण विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य है।
3. पार्ट–1 की कंडिका B 2.4 में Component wise breakup में एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये Component wise कार्य करने हेतु उल्लेख के अनुसार Component wise breakup में काफी भिन्नता है। इसे स्पष्ट किया जाय।
4. पार्ट–1 की कंडिका C (iii) में 1:50000 स्केल में टोपो मैप पर अपयोजित होने वाले वनभूमि को दर्शाते हुए अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
5. पार्ट–1 की कंडिका C (iv) में अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
6. पार्ट–1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
7. पार्ट–1 की कंडिका G (i) में विषयगत परियोजना से संबंधित हानि–लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
8. पार्ट–1 की कंडिका H(i)(c) में विषयगत परियोजना से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के

साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कंडिका H(i)(d) में पर्यावरणीय स्वीकृति का तिथि अंकित करना है। जहाँ शून्य अंकित किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

9. पार्ट–1 की कंडिका K(i) में विषयगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
10. पार्ट–1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha): 495.92 ha. Area अंकित है जबकि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना में कुल 1769 हे0 भूमि पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनो में विरोधाभाषी है। स्पष्ट करें।
11. पार्ट–1 की कंडिका M.2.(iii) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
12. पार्ट–1 की कंडिका M.2.(vi) में Land use plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

<u>ऑफ लाईन त्रुटियाँ</u>

1. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों का नंबरिंग पिछे करना है, जबकि आगे से किया हुआ है एवं अनुलग्नक अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
3. पार्ट–1 में Authorization letter अशोक कुमार का अपलोड है, परन्तु ऑफ लाईन में संलग्न Authorization letter निपेन्द्र नाथ का संलग्न है। दोनों विरोधाभाषी है। स्पष्ट करें।
4. प्रस्ताव में संलग्न Authenticated Land schedule के मौजा मासिलौंग के प्लॉट नं0– 55, 69पी0, 108, 111, 114, 314 एवं 316 मौजा– देवलगड़ा के प्लॉट संख्या– 52, 161, 233 मौजा– कुंडी के प्लॉट संख्या– 32, 178 एवं मौजा– सराढु के प्लॉट संख्या– 522, 566, 575, 577, 578, 629, 631, 673, 763, 831, 849, 869, 1954पी0 में भूमि का किस्म अंकित नहीं है एवं खाली है। ऐसी स्थिति उपरोक्त ग्रामों के संबंध में रिविजनल सर्वे (RS) हुआ है अथवा नहीं। यदि रिविजनल सर्वे (R S) हुआ है तो विभागीय पत्रांक –05:/स०भू० लातेहार (विविध)–181/18(छाया संचिका) –4715 दिनांक 27.11.2018 द्वारा जारी निर्देश के आलोक में विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व संबंधी उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं आपसे वचनवद्धता की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि Authenticated Land schedule की मूल एवं पठनीय प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अपयोजित होने वाले वनभूमि में 135.07 हे0 गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि प्रभावित होंगे परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 546.30 एकड़ (221.17 हे0) गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है। दोनो में विरोधाभाषी है स्पष्ट किया जाय।
6. अपयोजित होने वाले वनभूमि कुल 192.36 हे0 है, परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 651.16 हे0 एवं 32.15 हे0 वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न है। दोनो में विरोधाभाषी है। स्पष्ट किया जाय।
7. वृक्षों की गणना सूची संलग्न नही है।
8. विषयगत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मौजा– सराढु, देवलगडा, आराचमातु, गणेशपुर एवं फुलवरिया में कोल खनन परियोजना का निर्माण किया जाएगा, परन्तु प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में मौजा– मासीलौंग, देवलगडा, सराढु एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित है। अतः दोनो में विरोधाभाषी है। स्पष्ट करें।
9. अपयोजित होने वाली वनभूमि में ESZ/जैविक विविधता/नेशनल पार्क/वन्य प्राणी आश्रयणी/टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नही पड़ता है, से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

10. अपयोजित होने वाली वनभूमि में पुराने किला, मंदिर एवं बंगला नही है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
11. अपयोजित होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
12. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाला वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नही है। एवं इस क्रम में तैयार किये गये file की प्रति संलग्न नही है।
13. विषयगत परियोजना में CBA-1957 के तहत अधिग्रहित भूमि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं शेष बचे भूमि हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि विवरणी एवं सरांश प्रस्ताव में संलग्न होना अनिवार्य है, जो नही है।
14. प्रस्ताव के साथ RR Plan संलग्न नही है।
15. प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न नही है।
16. प्रस्ताव में संलग्न मौजा मैप पर दिखाए गये लीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त स्वीकृति हेतु क्षेत्र को अलग–अलग रंगो से दर्शाते हुए इण्डेक्स में दिखा कर नक्शा संलग्न नही है।
17. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में दिखाये गये रकबा एवं नक्शा पर वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा का मापी कराने का उपरांत काफी भिन्नता पाई गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि कही भी दिकत आति है, तो हमारे प्रमंडलीय अमीन से संपर्क स्थापित कर उसकी पुष्टी किया जा सकता है।
18. प्रस्ताव के साथ मदवार (Component wise) विवरणी में Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone का उल्लेख है, परन्तु इनके कार्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये गये है। इसे स्पष्ट करना आवश्यक है।
19. मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। उक्त अपयोजित वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file समर्पित करना अनिवार्य है। ताकि प्रस्तावित अपयोजित होने वाले वनभूमि क्षेत्र में ओभर लेप न हो उसका मिलान किया जा सकें।

अतः उपरोक्त त्रूटियों / कमियों के निराकरण हेतु ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/10/2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

27/10/2021 27/X/21